इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 मई 2012—वैशाख 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 2679-182-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१२

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१२

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक ९ मई, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१२ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २६ सन् १९७० का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ तथा ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, अंक तथा शब्द "२३ जून, १९८०" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

धारा ५ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, अंक तथा शब्द "२३ जून, १९८०" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

भोपाल :
तारीख : ६ मई, सन् २०१२

रामनरेश यादव
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 2680-182-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 2, सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 2012

THE MADHYA PRADESH GRAMO ME KI DAKHALRAHIT BHOOMI (VISHESH UPABANDH) SANSHODHAN ADHYADESH, 2012

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th May, 2012.]

Promulgated by the Governor in the Sixty-third year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1970.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhyadesh, 2012.

Madhya Pradesh Act, No. 26 of 1970 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1970 (No. 26 of 1970) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 and 4.

Amendment of Section 3.

3. In Section 3 of the principal Act, for the figures, letters and words "23rd day of June, 1980", the figures, letters and words, "31st day of December, 2011" shall be substituted.

Amendment of Section 5.

4. In Section 5 of the principal Act, for the figures, letters and words "23rd day of June, 1980", the figures, letters and words, "31st December, 2011" shall be substituted.

Bhopal :
Dated : the 6th May 2012

RAMNARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.